

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ
पत्रांक/790/14-1 बदायूँ दिनांक 03/02/2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- जनपद मेरठ से प्रयागराज (चैनेज 7+900 से 601+847 Km). तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु बदायूँ वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल 4.9257 हे. संरक्षित वन भूमि, 842 बाधक वृक्ष एवं 712 वृक्षारोपण के बाधक वृक्षों के पातन तथा गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ का पत्रांक 2142/11-सी-
FP/UP/Road/144793/2021 Dt. 18-01-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बदायूँ वन प्रभाग से सम्बन्धित वांछित अनुपालन आख्या बिन्दुवार की मय संलग्न सहित चार प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वांछित आख्या अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

S.N o.	Observation of GOI	Reply
1	As per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
2	Tree felling in Amroha and Pratapgrah district is mismateching with details of Part II uploaded nad the details provided in proposal.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
3	An abstract of tree feeling in all the districts needs to be provided.	बदायूँ वन प्रभाग द्वारा जन सामान्य को वृक्षारोपण किये जाने के प्रति समय समय पर गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम कर जागरूक किया जाता है।
4	No objection certificate of concerned department (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
5	Revised NPV caleutation as per order dated 06.01.2022 needs to be submitted.	दिनांक 06-01-2022 के अनुसार बदायूँ वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की संशोधित गणना (एन० पी० वी०) रिपोर्ट चार प्रतियों के संलग्न है।
6	Plantation Scheme For Road Side plantaion need to be submitted	प्रभाग स्तर से कार्यवाही की जा रही है।
7	As per Part II of the proposal under Social Forestry Division Allahabad Social and Social Forestry Division Bulandshar. It is Mantioned at Colum No, 10 "Comment as to the reseonability of the extent of the forest land proposed for diversion whether the ragularment of forest land as proposed by the user agency is unaboidable and her minimum for the project : NIL"	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
8	CA scheme and site suitability certificate for CA in DDFL has to be provided.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
9	Why RF cannot be avoided proper justification needs to be provided.	प्रस्तावित प्रकरण में बदायूँ वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
10	As per the .kml file the proposed area for diversion is 50.29 ha. but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha. mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
11	.Kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs to be submitted.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
12	Kml file of alternate routes needs to be submitted.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
13	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 Ha. which is less than actual required CA land area.	कार्यदायी संस्था के स्तर से कार्यवाही की जानी है।
14	As per the Geo-referenced map of the proposed CA land, GPS "Point id" is not mentioned in the Haripur village and Purthiyawan village. This needs rectification.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
15	As per the .Kml file, some CA land polygons have been found in scattered forms and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed for CA which are of area less than 1 hac. patches need to be in consolidated form.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
16	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
17	The proposed CA land patch of Unnao District (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
18	Component Wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility center, toll plaza. Covers over River/Canals/Nalas, Pulia, Flyover & interchanges etc, needs to be provided.	कार्यदायी संस्था के स्तर से कार्यवाही की जानी है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार (04 प्रतियों में)

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बढ़ाऊँ।

पत्रांक 1790/

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
- 2:- मुख्य वन संरक्षक एवं रुहेलखण्ड जोन, बरेली, उ० प्र०।
- 3:- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र०, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।
- 4:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बढ़ाऊँ।